

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक.61 दिनांक. 22/5/2012

गत सभा दिनांक 7/5/12 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-कौंसिल
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
- 2- रेसीडेन्ट आडिट
- 3- सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर
- 4- लोक सूचना अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 62 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 14 वार्ड क्रमांक 59 द्वारकापुरी रिलेक्स होटल के पीछे वृद्धाश्रम मार्ग एवं आसपास की गलियों का सीमेंट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 19/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 21.5.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 53 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,79,370/- की दिनांक 23.02.2012 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स एल.आर. कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत दर राशि रूपये 3.49 प्रतिशत अधिक (डच नाक्व त्वंक दक ठतपकहमए ठनपसकपदह वूता दक जमत - क्तंपदंहम ँण्वत् 01.06.2011) की राशि रूपये 34,180/- सहित कुल आकार राशि रूपये 10,13,550/- के कार्य कराने की वित्तीय स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.05.2012

क्रमांक 281-83

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 63 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 08 वार्ड क्रमांक 39 बी.सी.एम. हाईट्स के आसपास वाली रोड़ों का सीमेंटीकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 27/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 22-5-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 20,35,300/- की दिनांक 03.03.2012 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स श्री कृष्णा ऐजेंसी द्वारा प्रस्तुत दर राशि रूपये 3.50 प्रतिशत अधिक (डच नाक्व त्वंक दक ठतपकहमए ठनपसकपदह वूवता ँण्वत् 01. रनदम.11) की राशि रूपये 71,235/- सहित कुल आकार राशि रूपये 21,06,535/- के कार्य कराने की वित्तीय स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.5.2012

क्रमांक 290-92

प्रतिलिपी:-सं. 1 फा.

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

जगदीश नगर एवं ऋषि नगर अधोसंरचना विकास कार्य हेतु बचत राशि से राशि रूपये 10.00 तक के अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 24 डी.एफ. आय.डी./144/12 दिनांक 13-04-12 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 454, दिनांक 28-02-2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जगदीश नगर एवं ऋषि नगर में अधोसंरचना विकास के पैकेज अन्तर्गत ऋषि नगर में कुछ गलियों में सीवर लाईन, वॉटर लाईन एवं सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण का कार्य पूर्व पैकेज में नहीं होने से डिजाईन सुपरविजन कंसलटेंट मेसर्स युनीसन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रा. लि. के आक्कलन अनुसार उक्त कार्य करने हेतु राशि रूपये 10.00 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाले व्यय अशरफी नगर की स्वीकृति बचत राशि में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 29.05.2012

क्रमांक 299-300

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 65 दिनांक 22-05-2012

वर्ष 2012-13 में कर्मचारियों/कामगारों को अनाज ऋण (अग्रिम) भुगतान करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 04 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में प्रतिवर्षानुसार निगम के कर्मचारियों/कामगारों को अनाज अग्रिम की राशि सामान्य भविष्य निधि खाते में से राशि रुपये 10,000/- भुगतान करने एवं इसकी वसूली 10 आसान किश्तों में करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. जिन कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 01-01-2005 के पश्चात की गई उन्हें अनाज अग्रिम से मुक्त रखा जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.05.2012

क्रमांक 257-59

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 66 दिनांक 22-05-2012

शासन आदेशानुसार नगर पालिक निगम, इन्दौर के समस्त पेंशनरों व परिवार पेंशनरों को 01 अप्रैल 2012 से 58 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत के स्वीकृति के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 678 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक ए फ 9-4/2012/नियम चार, दिनांक 17 अप्रैल 2012 अनुसार नगर निगम, इन्दौर के समस्त पेंशनर्स, परिवार पेंशनरों, वृद्ध पेंशनरों तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने को 07 प्रतिशत बढ़ा हुआ (51 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत) महंगाई राहत का लाभ 01 अप्रैल 2012 से दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.5.2012

क्रमांक 260-62

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 67 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 07 वार्ड क्रमांक 41 के अन्तर्गत अंबिका नगर एवं पास के क्षेत्र में स्ट्राम वॉटर लाईन डालने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 15/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 21.5.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 55 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक (डच न।क्व त्वंक दक ठतपकहमए ठनपसकपदह वूता दक जमत - क्तंपदंहम ण्वत् 01.06.2011) अनुसार राशि रूपये 27,84,906/- की वित्तीय स्वीकृति एवं अल्प निविदा आमंत्रण की पुष्टि की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.05.2012

क्रमांक 269-71

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 59

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 68 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 10 वार्ड क्रमांक 48 के अन्तर्गत बंगाली चौराहा (सिंधिया प्रतिमा) गोयल नगर में वर्षा के पानी निकासी हेतु स्ट्रॉम वॉटर लाईन डालने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 09/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 21.5.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 64 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक (डिच नॉक्व त्वंक दक ठतपकहमए ठनपसकपदह वूता दक जमत - क्तंपदंहम ण्वत् 01.06.2011) अनुसार राशि रूपये 31,79,971/- की वित्तीय स्वीकृति एवं अल्प निविदा आमंत्रण की पुष्टि की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.05.2012

क्रमांक 272-74

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 69 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 10 वार्ड क्रमांक 43 के अन्तर्गत टेलीफोन हर्ष नगर कम्पाउण्ड होते हुए पालीवाल नगर तक स्ट्रॉर्म वॉटर लाईन डालने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 06/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 21.5.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 58 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक (डिच नाक्व त्वंक दक ठतपकहमए ठनपसकपदह वूता दक जमत - क्तंपदंहमैण्वत् 01.06.2011) अनुसार राशि रूपये 27,52,723/- की वित्तीय स्वीकृति एवं अल्प निविदा आमंत्रण की पुष्टि की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.05.2012

क्रमांक 284-86

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 70 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 04 वार्ड क्रमांक 22 के अन्तर्गत गोविन्द नगर खारचा बस्ती में गड्डे के पास से नाले तक वर्षा के पानी निकासी हेतु स्ट्रार्म वॉटर लाईन डालने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 17/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 21.5.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 61 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक (डच नाक् त्वंक दक ठतपकहमए ठनपसकपदह वूवता दक जमत - क्तंपदंहम ँण्वत् 01.06.2011) अनुसार राशि रूपये 15,89,347/- की वित्तीय स्वीकृति एवं अल्प निविदा आमंत्रण की पुष्टि की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

दिनांक 29.05.2012

क्रमांक 287-89

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 71 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 07 वार्ड क्रमांक 41 के अन्तर्गत वैलासिटी के सामने की पुलिया से गुरुदेव रेसीडेंसी के सामने की पुलिया तक स्ट्राम वॉटर लाईन डालने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 16/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 21.5.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 56 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक (डच नक्क त्वंक दक ठतपकहमए ठनपसकपदह वूता दक जमत - क्तंपदहमैण्वत् 01.06.2011) अनुसार राशि रूपये 1,02,72,304/- की वित्तीय स्वीकृति एवं अल्प निविदा आमंत्रण की पुष्टि की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.05.2012

क्रमांक 293-95

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 72 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 13 वार्ड क्रमांक 56 के अन्तर्गत भोलाराम उस्ताद मार्ग सर्वानंद नगर से ए.बी. रोड़ (लग्न गार्डन) तक स्ट्राम वॉटर लाईन डालने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 07/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 21.5.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 59 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक (डिच नॉक्व त्वंक दक ठतपकहमए ठनपसकपदह वूता दक जमत - क्तपदंहम ण्वत् 01.06.2011) अनुसार राशि रूपये 60,69,626/- की वित्तीय स्वीकृति एवं अल्प निविदा आमंत्रण की पुष्टि की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.05.2012

क्रमांक 296-98

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 73 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 13 वार्ड क्रमांक 56 के अन्तर्गत प्रतिक्षा ढाबा से राजीव गांधी सर्किल तक वर्षा तक पानी निकासी हेतु स्ट्रॉम वॉटर लाईन डालने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 10/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 21.5.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 52 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक (डिच नॉक्व त्वंक दक ठतपकहमए ठनपसकपदह वूता दक जमत - क्तंपदंहमैण्वत् 01.06.2011) अनुसार राशि रूपये 40,63,044/- की वित्तीय स्वीकृति एवं अल्प निविदा आमंत्रण की पुष्टि की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.05.2012

क्रमांक 278-80

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 74 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 10 वार्ड क्रमांक 43 के अन्तर्गत पालीवाल नगर उत्कर्ष विहार होते हुए पुष्प नगर के सामने नाले तक स्ट्रॉम वॉटर लाईन डालने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 08/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 21.5.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 60 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक (MP UADD Road and Bridge, Building work and Water & Drainage S.O.R 01.06.2011) अनुसार राशि रूपये 14,54,709/- की वित्तीय स्वीकृति एवं अल्प निविदा आमंत्रण की पुष्टि की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.05.2012

क्रमांक 275-77

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 75 दिनांक 22-05-2012

शहरी परिवहन बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं के प्रबंधन को पूरा करने के लिए, एक "समर्पित शहरी परिवहन विकास कोष/कमकपबंजमक न्तइंद ज्तंदेचवतज थनदक" के संबंध में निगम प्रस्ताव क्रमांक 75 दिनांक 19-08-2011 पर विचार किया गया।

2. नगर पालिक निगम प्रस्ताव क्र. 09 दिनांक 12.04.12 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में वाहनों के विक्रय राशि पर लगाये जाने वाले फीस/शुल्क को अधिरोपित/वसूले जाने के लिये परिषद के पूर्व प्रस्तावों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु युक्तियुक्तकरण एवं यथा संशोधन के लिये मेयर-इन-कौंसिल को अधिकृत किया गया है।

3. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में जेएनएनयूआरएम सुधारों के तहत एवं मध्य प्रदेश सरकार/भारत सरकार की शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किये गए अरबन ट्रान्सपोर्ट मैनेजमेन्ट अध्ययन की अनुशंसा अनुसार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वित्त पोषण, शहरी परिवहन बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं के प्रबंधन को पूरा करने, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग, महिलाओं, छात्र-छात्राओं को सामाजिक कल्याण के तहत रियायती बस यात्रा, स्थानीय परिवहन के विकास, पार्किंग के विकास और प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए प्रचार, शहरी यातायात प्रवर्तन बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु "समर्पित शहरी परिवहन विकास कोष" में राशि स्रोत के लिए नगर पालिक निगम प्रस्ताव क्रमांक 75 दिनांक 19.08.2011 में यथा संशोधन करते हुए नये वाहन क्रय पर केवल एक बार "शहरी परिवहन एवं पार्किंग विकास" शुल्क निम्नानुसार आरोपित करने की स्वीकृति दी जाती है:-

अ.क्र	वाहन का प्रकार	वाहन मूल्य राशि	शुल्क राशि
1	दुपहिया वाहन	वाहन मूल्य रु. 50,000/- तक	रु. 250/-
2	दुपहिया वाहन	वाहन मूल्य रु. 50,000/- से अधिक	रु. 500/-
3	तीन पहिया वाहन	तीन पहिया वाहन समस्त	रु. 1000/-
4	चार पहिया वाहन	वाहन मूल्य रु. 6.00 लाख तक	रु. 1500/-
5	चार पहिया वाहन	वाहन मूल्य रु. 6.00 लाख से अधिक व रु. 12 लाख तक	रु. 2000/-
6	चार पहिया वाहन	वाहन मूल्य रु. 12 लाख से अधिक व 30 लाख तक	रु. 3000/-
7	चार पहिया वाहन	वाहन मूल्य रु. 30 लाख से अधिक	रु. 5000/-

4. छूट-उपरोक्त शुल्क में ऑटो रिक्शा/टैक्सियों/शहरी बस सेवा 25 से अधिक सीटों क्षमता/सभी सरकारी वाहन/एम्बुलेंस/अग्नि शमन वाहनों की सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लागू नहीं होगा।

5. "समर्पित शहरी परिवहन विकास कोष" हेतु निधि को एक पृथक बैंक खातें रखा जावे, खाता निगमायुक्त द्वारा संचालित किया जावे।

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.5.2012

क्रमांक 263-65

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 76 दिनांक 22-05-2012

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 2012-14 एक्शन प्लान में प्राथमिकता निर्धारण अनुसार योजना के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 164/सी.ई./यो./ दिनांक 18.5.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 71 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 472 दिनांक 22-3-12 का अवलोकन किया गया।

2. आयुक्त के पत्र में उल्लेखित अनुसार इन्दौर शहर की बढ़ती आबादी एवं शहरी सीमा के प्रस्तावित विस्तारीकरण के दृष्टिगत आगामी दो वर्षों के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्ष 2012-14 का एक्शन प्लान प्राक्कलन राशि रूपये 518.00 करोड़ का तैयार किया गया, जिसके क्रम में प्राथमिकता निर्धारण करते हुए निम्नानुसार कार्य शीघ्र किया जाना है :-

अ.क्र.	योजना	आगामी 2 वर्ष में कार्य का अनुमान (करोड़ में)	शासन से अपेक्षित अनुदान (करोड़ में)
1	इन्दौर नगरीय क्षेत्र फीडर रोड्स के निर्माण की योजना हेतु राशि।	75.00	20.00
2	शहरी क्षेत्र के पुराने पुलों का पुर्ननिर्माण एवं विस्तारीकरण का कार्य की योजना राशि	20.00	5.00
3	शहरी क्षेत्र के छोटे नालों पर स्थित छोटे पुल एवं पुलियाओं के विस्तारीकरण एवं उन्नयन की कार्य योजना राशि।	20.00	4.00
4	शहर के प्रमुख चौराहों के यातायात प्रबंधन हेतु सुनियोजित विकास हेतु राईट्स इण्डिया लि. द्वारा तैयार की गई डिजाइन अनुसार विकास की कार्य योजना राशि।	10.00	4.00
5	पूर्ण सेक्शन में विकसित सड़क के सौन्दर्यीकरण एवं पैदल यात्रियों की सुविधा के लिये फुट ओव्हर ब्रिज निर्माण की कार्य योजना राशि।	10.00	4.00
6	शहर के प्रमुख मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु सेन्ट्रल लाईटिंग लगाये जाने की कार्य योजना राशि।	18.00	4.00
7	स्लम बस्तियों में सीवरेज कार्य योजना राशि।	35.00	15.00
8	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य योजना राशि।	25.00	4.00
	कुल-	213.00	60.00

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में आगामी दो वर्षों के लिये तैयार किये गये एक्शन प्लान अन्तर्गत प्राथमिकता निर्धारण करते हुए राशि रूपये 60.00 करोड़ के कार्यों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है।

4 योजना के प्राक्कलन यू.ए.डी.डी.एस.ओ.आर. अनुसार तैयार ऐस्कलेशन एवं टेण्डर प्रीमियम की राशि अतिरिक्त होकर निगम वहन करेगा। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य शासन से अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापोर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.5.2012

क्रमांक 266-68

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 77 दिनांक 22-05-2012

फिडबेक वेन्चर्स प्रा.लि. के कार्यकाल को दिसम्बर 2012 तक वृद्धि करने तथा अतिरिक्त व्यय 20 लाख रुपये की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 799/डीएफआयडी/59-ए/12दिनांक 16.02.2012 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 33 दिनांक 02-03-2012 पर विचार किया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1190 दिनांक 26-09-2008 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सामाजिक विकास कार्य हेतु मलिन बस्तियों में सामुदायिक विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य में सुधार, स्वच्छता अभियान, नागरिक अधिकार के लिए जागरूकता अभियान के तहत परियोजना संचालन करने के लिए नियुक्त फीडबेक वेन्चर प्रा. लि. नई दिल्ली की कॉन्ट्रैक्ट अवधि 01 मार्च 2012 से 07 माह के लिए अवधि वृद्धि करने तथा इस कार्य में लगने वाली अतिरिक्त व्यय राशि रुपये 20.00 लाख की स्वीकृति दी जाती है। यह राशि अधोसंरचना विकास कार्यों में हुई बचत राशि में से व्यय की जावेगी।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 334-36

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 78 दिनांक 22-05-2012

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इन्दौर सीवरेज परियोजना के अंतर्गत नियुक्त डिजाईन सुपरविजन एवं कंस्ट्रक्शन कंसलटेंट मे. मेनहार्ट सिंगापुर प्रा.लि. के समय वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 290/जे. एनएनयूआर/2012 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सीवरेज प्रोजेक्ट का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने व शेष कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए प्रोजेक्ट की डिजाईन एवं कंस्ट्रक्शन सुपरविजन के लिये नियुक्त एजेंसी मेनहार्ट सिंगापुर प्रा. लि. की तकनीकी, उपतकनीकी व अन्य स्टॉफ को कम करते हुये अवधि दिनांक 31 अगस्त 2012 तक बढ़ाये जाने एवं समय वृद्धि से होने वाले व्यय राशि रु. 39,30,604/- (सर्विस टेक्स सहित) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 361-63

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 79 दिनांक 22-05-2012

कृषि नगर टंकी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 कालिंदी कुंज में 160 एम.एम. व्यास की पी.वी.सी. पाइप लाईन बिछाने के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वार्षिक दरों पर कार्य करने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 9770 दिनांक 15.02.11 पर प्रभारी जलकार्य की राय क्र. 59 दिनांक 18.11.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रु. 10,64,564/- की निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 358-60

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 80 दिनांक 22-05-2012

म.प्र. नगर पालिक मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियां तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम 2009 के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 105/बिल्स/11-12 दिनांक 20.01.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 15 दिनांक 21-02-2012 पर विचार किया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 30 दिनांक 07.05.2010 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में म.प्र. नगर पालिक मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियां तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में मोहल्ला समिति गठन हेतु संबंधित झोनल अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। मोहल्ला समिति की मॉनिटरिंग हेतु श्री रणवीर कुण्मार उपायुक्त/नोडल अधिकारी डीएफआयडी होंगे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 346-48

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 81 दिनांक 22-05-2012

लाल बहादुर शास्त्री ओव्हर ब्रिज पर सौन्दर्यीकरण के तहत विशेष विद्युत व्यवस्था करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 514 दिनांक 22.05.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रु. 49.51 की निविदा आमंत्रण करने तथा फर्म वर्सेटाइल इंजीनियरिंग सर्विसेज को अनुमान पत्रक की 2 प्रतिशत की राशि रु. 01.00 लाख डिजाइन एवं अनुमान पत्रक तैयार करने के शुल्क पेटे नियमानुसार भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 4.6.2012

क्रमांक 343-45

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 82 दिनांक 22-05-2012

शहर के जूनी इन्दौर मुक्तिधाम स्थित विद्युत शवदाह गृह एवं रामबाग स्थित डीजल शवदाह गृह को सी.एन.जी. से चलाने हेतु आवश्यक परिवर्तन करना एवं पांच वर्ष तक रखरखाव संबंधी कार्य की निविदा आमंत्रित करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 3038/सी.ई./वि./यां/12 दिनांक 24.02.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 29 दिनांक 28-02-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में फर्म मेसर्स चिरंतन उद्योग ठाणे महाराष्ट्र से उनकी प्राप्त दरों पर निगोसिएशन करने हेतु प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा श्री मुन्नालाल यादव एवं श्री प्रभारी आवासा पर्यावरण एवं लोक निर्माण श्री जवाहर मंगवानी व नगर शिल्पज्ञ योजना की निगोसिएशन समिति का गठन किया जाता है, समिति निगोसिएशन उपरान्त अभिमत के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक. 4.06.2012

क्रमांक 355-57

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 83 दिनांक 22-05-2012

अटल बिहारी वाजपेयी क्षेत्रीय उद्यान स्थित फूड झोन के टेण्डर के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 162 दिनांक 22.05.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में अटल बिहारी वाजपेयी क्षेत्रीय उद्यान स्थित फूडझोन हेतु दिनांक 16.05.12 को निविदा आमंत्रण की गई थी प्राप्त निविदा में फूडकोर्ट एफ-1, भूतल एवं कीयास्क के-1 के लिये प्राप्त एकमात्र अधिकतम निविदा दरदाता श्री मनीष कुमार प्रेमनारायण साहू, 107/3 जूना रिसाला, इन्दौर की अधिकतम दर राशि रु. 156/- प्रतिवर्ग फूट प्रतिमाह की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। शेष फूड झोन के लिए दरें कम प्राप्त होने से निविदा निरस्त की जाकर पुनः निविदा आमंत्रित की जावें।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक

क्रमांक 303-05

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 79

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 84 दिनांक 22-05-2012

जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत निर्मित की गई आवासीय ईकाईयों के आवंटन के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 248/एनयूआरएम/12 दिनांक 21.05.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 70 दिनांक 22-05-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में पंचशील नगर में द्वितीयचरण के अन्तर्गत पूर्ण निर्मित 240 आवासीय ईकाईयों में हितग्राहियों को आवास आवंटन किये जाने हेतु यथास्थान अवस्थापन अन्तर्गत प्रारंभिक चयनीत 228 हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 310-12

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 85 दिनांक 22-05-2012

झोन क्र. 11 वार्ड क्र. 49 के अन्तर्गत रेसीडेन्सी एरिया लोकसेवा आयोग कार्यालय चौराहा से कार्नर (एम.पी.ई.बी. चौराहा) तक रोड की चौड़ाई बढ़ाकर डामरीकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 130/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 22.02.12 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं चर्चा के प्रकाश में सदर कार्य की नवीन एस.ओ.आर. पर निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। निविदा आमंत्रण पश्चात नियमानुसार पुष्टि प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 349-51

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 86 दिनांक 22-05-2012

जेएनएनयूआरएम अंतर्गत स्वीकृत इन्दौर परियोजना के अन्तर्गत द्वितीय कम्पोनेंट सेकेण्डरी सीवरेज (कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेण्डरी सीवरेज सिस्टम एण्ड एलाइडवर्कस) की निविदा आमंत्रण पश्चात निगोसिएशन की अनुमति के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक जेएन 1806 दिनांक 05.01.12 पर जलकार्य समिति की राय क्रमांक 62 दिनांक 06-01-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में कंसलटेन्ट द्वारा परीक्षण उपरान्त लागत राशि अधिक बताई जाने से प्राप्त निविदा निरस्त की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 367-69

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 87 दिनांक 22-05-2012

झोन क्र. 01 वार्ड क्र. 04 के अन्तर्गत वी.आई.पी. रोड से साधना नगर होते हुए निर्माणाधीन 60 फीट रोड को जोड़ने वाले लिंक रोड का सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 155/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 05.03.12 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं चर्चा के प्रकाश में सदर कार्य की नवीन एस.ओ.आर. पर निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। निविदा आमंत्रण पश्चात नियमानुसार पुष्टि प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 319-21

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 88 दिनांक 22-05-2012

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों के संबंध में उपायुक्त के पत्र क्रमांक 128 /श.ग.उ.प्र./12-13 इन्दौर, दिनांक 17-05-12 पर महिला एवं बाल कल्याण समिति की राय क्रमांक 34 दिनांक 18-05-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में राष्ट्रीय परिवार सहायता के पात्र कुल 05 आवेदकों की सूची से मेयर-इन-कौंसिल अवगत हुई।

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 322-24

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 89 दिनांक 22-05-2012

झोन क्र. 14 वार्ड क्र. 59 ऋषि पैलेस कालोनी गली नं. 05 मार्ग का सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 20/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 21.05.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्र. 69 दिनांक 22.05.12 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रु. 9,87,700/- की दिनांक 23.02.12 को प्राप्त दो निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स मारुती इंटरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत दर राशि रु. 3.49 प्रतिशत अधिक (MPUADD Road & Bridge Work S.O.R. 01- Jun- 2011) की राशि रुपये 34,470/- सहित कुल आकार राशि रुपये 10,22,170/- की वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 313-15

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 90 दिनांक 22-05-2012

होटल सायाजी को 100 एम.एम. व्यास (4" इंच) के जल संयोजन की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त के पत्र दिनांक 22.5.12 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में होटल सायाजी को 100 एम.एम. व्यास (4" इंच) के जल संयोजन की स्वीकृति दी जाती है। सदर कार्य में लगने वाली राशि उपभोक्ता द्वारा वहन की जावेगी तथा जल संयोजन पश्चात मीटर स्थापित कर जलकर प्रचलित औद्योगिक दर से वसूल किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 352-54

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 91 दिनांक 22-05-2012

ग्राम कबीटखेड़ी तहसील व जिला इन्दौर मेसर्स वडनेरे फॉर्मास्युटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर पत्र दिनांक 16-05-2012 पर विचार किया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में ग्राम कबीटखेड़ी तहसील व जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 132/5 एवं 136/1 की भूमि के पूर्व नाले पर जनहित की दृष्टि से पुल निर्माण करने की सैद्धांतिक सहमति इस शर्त पर दी है कि, उक्त पुल निर्माण में निगम द्वारा राशि का वहन नहीं किया जावेगा, पुल की ड्राईंग डिजाईन व निर्माण निगम के इंजिनियरों की देखरेख व नियंत्रण में होगा, नाले के पानी की निकासी अवरूद्ध नहीं होगी तथा पुल सार्वजनिक होकर आमजन के आवागमन के लिए सदैव चालू रहेगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 340-42

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 92 दिनांक 22-05-2012

लेन वेन नेटवर्क केबलिंग हेतु प्राप्त निविदा के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 1149/आईटी/12, दिनांक 21-03-2012 पर विचार किया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 352 दिनांक 20-01-2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में निगम में कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत लेन नेटवर्क की अधोसंरचना के सुदृढीकरण तथा सुचारु संचालन के दृष्टिगत प्राप्त 03 निविदाओं में आई. टी. सलाहकार से करवाये गये तकनीकी मूल्यांकन उपरान्त तकनीकी रूप से उपयुक्त न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स एंजल इन्फोर्मेटिक्स की निविदा राशि रूपये 9,98,500/- (अक्षरी- राशि रूपये नौ लाख, इन्टयान्वे हजार पांच सौ सिर्फ) की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. उपरोक्त स्नउचै.नउच निविदा राशि में दो वर्ष का मेन्टेनेस हेतु राशि रूपये 5.00 लाख (राशि रूपये 2.50 लाख प्रतिवर्ष) एवं स्ट्रक्चर केबलिंग (वन टाईम) के लिये कुल राशि रूपये 4,98,000/- देय होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 6.06.2012

क्रमांक 370-72

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 93 दिनांक 22-05-2012

नगर निगम इन्दौर के अन्तर्गत मछली बाजार निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 85 दिनांक 21-11-11 व पत्र क्र. 161/सी.ई./योजना दिनांक 17.05.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्र. 245 दिनांक 07-12-11 व पत्र क्र. 68 दिनांक 22.05.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में राशि रु. 282.37 लाख की डी.पी.आर का अनुमोदन किया जाता है। अनुमान पत्रक की कुल लागत राशि रु. 282.37 लाख का 10 प्रतिशत अर्थात रु. 28.237 लाख का वहन नगर निगम, इन्दौर द्वारा एवं शेष राशि का वहन मत्स्य उद्योग द्वारा किया जावे। नगर निगम एवं राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड के मध्य किये जाने वाले एम.ओ.यू. ड्राफ्ट का अनुमोदित किया जाता है।।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 316-18

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 94 दिनांक 22-05-2012

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों के संबंध में उपायुक्त के पत्र क्रमांक 128 /श.ग.उ.प्र./12-13 इन्दौर, दिनांक 17-05-12 पर महिला एवं बाल कल्याण समिति की राय क्रमांक 34 दिनांक 18-05-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में राष्ट्रीय परिवार सहायता के पात्र कुल 05 आवेदकों की सूची से मेयर-इन-कौंसिल अवगत हुई।

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 364-66

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 95 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 14 पोलोग्राउण्ड क्षेत्र में जनसहयोग से स्टार्म वॉटर लाईन डालने व सीमेंटीकरण करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 29/सी.ई. /बिल्स/12-13 दिनांक 22.5.12 पर विचार किया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 266, दिनांक 13-10-2011 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 87,16,799/- की दिनांक 03.03.2012 को प्राप्त 04 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता श्री हरदेश तिवारी द्वारा प्रस्तुत दर राशि रूपये 2.29 प्रतिशत कम (डच नाक्व त्वंक दक ठतपकहमए ठनपसकपदह वूता दक जमत - क्तंपदंहम ँण्वत् 01.06.2011) की राशि रूपये 1,99,615/- रहित कुल आकार राशि रूपये 85,17,184/- के कार्य कराने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट में से होगा।

3. मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 266, दिनांक 13-10-2011 अनुसार सदर कार्य में लगने वाली सम्पूर्ण सीमेंट एवं वर्षा जल निकासी में लगने वाला पाईप जनसहयोग से प्राप्त किया जावे।

4. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 4.06.2012

क्रमांक 337-39

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 96 दिनांक 16-04-2012

पम्पगृह क्रमांक 1 से टी.पी.साईट (0 से 3.0 कि.मी.) तक के निरीक्षण मार्ग का पुनः डामरीकरण तथा दो पुलिया एवं मार्ग दुरस्ती कार्य तथा उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) संभाग खरगौन से डिपाजिट मद से कार्य करने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 5245 दिनांक 15-12-2011 पर समिति आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग की राय क्रमांक 28 दिनांक 25-02-2012 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र एवं संक्षेपिका में दर्शाई गई स्थिति के प्रकाश में पम्पगृह क्रमांक 1 से टी.पी.साईट (0 से 3.0 कि.मी.) तक के निरीक्षण मार्ग का पुनः डामरीकरण तथा दो पुलिया एवं मार्ग दुरस्ती का कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) संभाग खरगौन से डिपाजिट मद से कराने की स्वीकृति दी जाती है ।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे ।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 22.06.2012

क्रमांक 385-86

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्ट आडिट ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर ।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर ।
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 97 दिनांक 22-05-2012

शासकीय प्राथमिक विद्यालय शांतिनगर मुसाखेडी की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करने संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 87 दिनांक 23-11-11 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्र. 241 दिनांक 07-12-11 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 9,65,000/- की दिनांक 14-09-2011 को प्राप्त दो निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स आशा इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत दर राशि रुपये 6.50 प्रतिशत अधिक की कुल राशि रुपये 10,27,725/- के कार्य कराने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 98 दिनांक 16-04-2012

झोन क्रमांक 04 वार्ड क्रमांक 20 बाणेश्वर कुण्ड के पास बाण्ड रोड निर्माण में बाधक हटाई गई बगीचे की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करने संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 151/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,77,500/- की दिनांक 09-12-2011 को प्राप्त दो निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स संस्कृति इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत दर राशि रूपये 10.00 प्रतिशत अधिक (डब्ल्यू ठनपसकपदहू वता "दत्प 01 श्रनदम.11) की कुल राशि रूपये 10,75,250/- के कार्य कराने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद "अतिक्रमण हटाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर पुनः बाउण्ड्रीवाल" में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 99 दिनांक 22-05-2012

राजीव आवास योजनान्तर्गत (पायलट प्रोजेक्ट) प्रशासकीय, वित्तीय व तकनीकी एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. जेएन 291 एनयूआरएम 2012 दिनांक 22.05.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्र. 69 दिनांक 22.05.12 विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्र. 39 दिनांक 20.05.11 एवं संकल्प क्र. 27 दिनांक 16.04.12 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में सदर कार्य हेतु क्रमशः (1) महादेव नगर में आवास निर्माण एवं मूलभूत सुविधा की प्राक्कलन राशि रु. 969.52 लाख (2) इंद्रजीत नगर में आवास निर्माण एवं मूलभूत सुविधा की प्राक्कलन राशि रु. 607.57 लाख (3) चिकित्सक नगर दो आवास निर्माण एवं मूलभूत सुविधा की प्राक्कलन राशि रु. 662.22 लाख (4) निपानिया ग्राम कांकड आवास निर्माण एवं मूलभूत सुविधा की प्राक्कलन राशि रु. 2763.43 लाख (5) चिकित्सक नगर एक आवास निर्माण एवं मूलभूत सुविधा की प्राक्कलन राशि रु. 441.71 लाख (6) राहूल गांधी नगर (बजरंग नगर) आवास निर्माण एवं मूलभूत सुविधा की प्राक्कलन राशि रु. 1841.62 लाख इस प्रकार कुल राशि रु. 7286.07 लाख प्रशासकीय, तकनीकी एवं निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. शेष योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रमशः (1) संचालन एवं संधारण लागत राशि रु. 355.26 लाख, (2) डीपीआर तैयार करना, परियोजना प्रबंधन, सुपरविजन एवं क्वालिटी कंट्रोल राशि रु. 382.07 लाख (3) क्षमतावर्धन, प्रशिक्षण एवं सामुदायिक गतिशीलता, सामाजिक अंकेक्षण एवं अन्य राशि रु. 382.07 लाख इस प्रकार कुल 1119.40 लाख रु. की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 101 दिनांक 22-03-2012

ग्राम बांगडदा द्वितीय चरण में जे.एन.एन.यू.आर.एम. अंतर्गत शहरी गरीबों हेतु निर्मित किये जाने वाले 968 आवासीय इकाईयों हेतु प्राप्त दरों की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. जेएन 2309/एनयूआरएम/2012 दिनांक 21-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र एवं संक्षेपिका में दर्शाई गई स्थिति के प्रकाश में ग्राम बांगडदा द्वितीय चरण में जे.एन.एन.यू.आर.एम. अंतर्गत शहरी गरीबों हेतु निर्मित किये जाने वाले 968 आवासीय इकाईयों के निर्माण एवं अधोसंरचना विकास हेतु प्राकलन राशि रु. 3,795.22 लाख के कार्य हेतु ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा दिनांक 16-02-12 को निविदा जारी कर दिनांक 15-03-12 को ऑन-लाईन टेक्निकल बिट्स खोलने पर 3 निविदाकारों की तकनीकी बिट्स उपयुक्त पाई गई, प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स सोम प्रोजेक्ट प्रा. लि. नई दिल्ली की एस.ओ.आर (कम्पोजिट यूएडीडी एसओआर दिनांक 01-06-2011 से प्रभावशील पर) से 9.90 प्रतिशत अधिक की दर सहित कुल राशि रु. 4,170.95 लाख के कार्य की निविदा स्वीकृत की जाकर प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है।

प्रकरण जानकारी हेतु निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक.22.06.2012

क्रमांक 387-88
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 102 दिनांक 22-05.2012

ग्राम बडा बांगडदा में द्वितीय चरण अंतर्गत आवास निर्माण हेतु निविदायें बुलाने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक जेएन 2100/एनयूआरएम/2012 दिनांक 16-02-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन योजनान्तर्गत शहरी गरीबों हेतु आवास निर्माण योजना ग्राम बडा बांगडदा में द्वितीय चरण अंतर्गत 968 इकाईयों के लिये तैयार प्राक्कलन राशि रूपये 3795.22 लाख तकनीकी एवं प्रशासकीय एवं ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रण की पुष्टि की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक.22.06.2012

क्रमांक 377-78

प्रतिलिप

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 103 दिनांक 16-04-2012

टोटल डायबिटीज हार्मोन इंस्टीट्यूट, पी.यू-4 स्कीम नं. 54 बॉम्बे हॉस्पिटल के पास इन्दौर को 4" के जल संयोजन देने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 180 दिनांक 09-01-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में टोटल डायबिटीज हार्मोन इंस्टीट्यूट, पी.यू-4 स्कीम नं. 54 बॉम्बे हॉस्पिटल के पास इन्दौर को 4" के जल संयोजन स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त संयोजन हेतु जल संयोजन शुल्क राशि रु. 1,60,000/- एवं जल संयोजन हेतु 100 एम.एम. व्यास की जी. आय. पाइप, वॉल्व स्थापना कार्य एवं अन्य इंटरकनेक्शन के कार्य को सम्मिलित कर कार्य का प्राकलन लागत राशि रु. 4,39,000/- संस्था से प्राप्त करें तथा जल संयोजन का प्रचलित व्यवसायिक दर के मान से जलदर लिया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 28.06.2012

क्रमांक 419-20

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिटर।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

रहवासी संघ को उद्यान के रख-रखाव के लिये अनुदान राशि देने हेतु सक्षम स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 7.5.12 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. आयुक्त के पत्र में संलग्न संक्षेपिका में उल्लेख अनुसार दिनांक 22 अप्रैल 2012 को वार्ड क्रमांक 45 के अन्तर्गत गीता नगर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में महापौरजी द्वारा वार्ड क्रमांक 45 के 3 उद्यानों जिनमें तिरुपति कॉलोनी स्थित उद्यान, पद्मावति कॉलोनी स्थित उद्यान, एवं गीता नगर स्थित उद्यान के विकास, रखरखाव, एवं सौंदर्यीकरण का कार्य रहवासियों द्वारा सुचारू रूप से किये जाने पर संबंधित रहवासी संघ को राशि रू.20-20 हजार अनुदान देने की घोषणा की गई।

3. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं चर्चा के प्रकाश में रहवासियों/रहवासी संघों को अपने क्षेत्र के उद्यानों के रखरखाव, विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित करने एवं स्वस्थ प्रतियोगिता प्रारंभ करने की दृष्टि से उद्यानों के रखरखाव हेतु अनुदान देने की योजना प्रारंभ की गई है। रहवासी संघ को अनुदान के लिए निम्नानुसार मापदण्ड होंगे।

1. रहवासी संघ का पंजीयन होना चाहिये।
2. रहवासी संघ का बैंक अकाउण्ट होना चाहिये।
3. अनुदान की राशि केवल एक बार ही दी जावेगी।
4. रहवासी संघ द्वारा अनुदान राशि का उपयोग संबंधित उद्यान के रख-रखाव, विकास एवं सौंदर्यीकरण पर खर्च किया जा सकेगा। राशि उपयोगिता का प्रमाण-पत्र उद्यान विभाग में प्रस्तुत करना होगा।
5. उद्यान शाखा द्वारा उद्यान के रख-रखाव, विकास व सौंदर्यीकरण रहवासी संघ द्वारा किये जाने का प्रमाणिकरण।

4. वार्ड क्र 45 में महापौर जी द्वारा की गई घोषणा के पालन तिरुपति कॉलोनी स्थित उद्यान, पद्मावति कॉलोनी स्थित उद्यान, एवं गीता नगर स्थित उद्यान के रहवासी संघों को राशि रू. 20-20- हजार अनुदान उपरोक्त उल्लेखित मापदण्ड पूर्ण करने पर देने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। उक्त कार्य बजट मद क्रमांक 2208004 "महापौर के विवेकानुसार व्यय के लिए राशि" में से किया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 29.06.2012

क्रमांक 429-31

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, की ओर वेबसाईड पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 105 दिनांक 22-05-2012

कब्रस्तानों पर मस्टर पर नियुक्ति के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 44 दिनांक 10-04-12 पर विधि तथा सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2609 दिनांक 07-05-12 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 49 दिनांक 20-06-11 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 49 दिनांक 20-06-11 के तारतम्य में श्री गुलाब पिता रमजान खां एवं श्री गब्बू पिता गुलाम खां को श्मशान / कब्रिस्तानों के लिये मस्टर श्रमिक के कार्य हेतु आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 21-10-11 से 31.7.2012 तक की अवधि वृद्धि कर कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 28.06.2012

क्रमांक 389-90

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाइट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक 106 दिनांक 22.5.2012

आर्थिक सहायता /अनुदान देने के संबंध में आवेदक बुद्धिधष्ट स्वयं सहायता समूह के आवेदन पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त डॉ.बाबा अम्बेडकर जी की 21 वी जयन्ति पर बौद्ध समाज युवा संगठन के द्वारा भव्य सांस्कृतिक रंगारंग भीम-बुद्ध गीतो का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस हेतु रु. 5,000/- (अक्षरी रूपये पाँच हजार रूपये मात्र) का अनुदान बजट मद क्रमांक 2208010 आर्थिक सहायता/अनुदान में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

दिनांक 28.06.2012

क्रमांक 427-28

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 107 दिनांक 22-05-2012

श्री टी.डी. सोनवाने रिटायर्ड सीनियर डिविजनल ऑफिसर को निगम की तकनीकी समिति में नमांकित करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 19 सी.ई./योजना दिनांक 03.04.12 पर समिति आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण की राय क्र. 43 दिनांक 16.04.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में नगर निगम इन्दौर के प्रोजेक्ट्स कार्यों के अन्तर्गत तकनीकी सलाह देने एवं प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग करने के लिये टेक्निकल एडवाइजरी एवं मॉनीटरिंग कमेटी गठित, है जिसमें शहर के कई गणमान्य वरिष्ठ तकनीकी अभियन्ता सम्मिलित है, निगम के कार्यों में ऑडिट/अकाउण्ट्स संबंधी वैधानिक प्रक्रिया में सलाहकार की आवश्यकता की दृष्टि से आय.सी.टी.एस.एल. में सलाहकार के रूप में श्री टी.डी. सोनवाने रिटायर्ड सीनियर डिविजनल ऑफिसर (अकाउन्टेंट जनरल) को निगम की तकनीकी समिति में नामांकित करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 28.06.2012

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 108 दिनांक 22-05-2012

पूर्वी रिंग रोड निरंजनपुर से खजराना चौराहा तक स्टार्म वाटर लाईन की मरम्मत एवं सफाई, नई लाईन डालना एवं चेम्बर्स के निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 175 दिनांक 22.05.12 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्र. 299 दिनांक 07.12.11 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रु. 2,65,00,000/- की ई-टेण्डरिंग के माध्यम से दिनांक 22.03.12 को प्राप्त 3 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम दर दाता ठेकेदार मेसर्स प्रभा एक्विजम प्रा. लि. द्वारा प्रस्तुत दर 29.75 प्रतिशत अधिक की राशि रु. 78,70,500/- सहित कुल आकार राशि रु. 3,43,70,500/- के कार्य कराने की स्वीकृति निगम परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 28.06.2012

क्रमांक 411-12

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 109 दिनांक 22-05-2012

झोन क्र. 08 वार्ड क्र. 38 में निरंजनपुर चौराहा से एम.आर.-2 तक जाने वाली रोड का सीमेन्टीकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 145/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया है।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में सदर प्रकरण की नये एस.ओ.आर. दर पर निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार पुष्टि प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त।
 2. रेसीडेन्ट आडिट।
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 110 दिनांक 22-05-2012

झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 43 के अन्तर्गत पुष्प नगर सेक्टर बी में जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 136/सी.ई/बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में सदर प्रकरण की नये एस.ओ.आर. दर पर निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार पुष्टि प्राप्त की जावे। जनसहयोग से होने वाली 15 प्रतिशत राशि प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 403-04

दिनांक 28.06.2012

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 111 दिनांक 22-05-2012

माँ हरसिद्धी झोन क्र. 12 के अन्तर्गत मोतीतबेला नये कलेक्टर कार्यालय के पीछे पार्किंग स्थल पर रोड साईड पटरी पर सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 86 दिनांक 21-11-11 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण की राय क्र. 242 दिनांक 07-12-11 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में सदर प्रकरण की नये एस.ओ.आर. दर पर निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार पुष्टि प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 28.06.2012

क्रमांक 401-02

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 112 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 13 सत्यदेव नगर में मुख्य मार्ग का सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 89/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 24-11-11 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्र. 243 दिनांक 07-12-11 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में सदर प्रकरण की नये एस.ओ.आर. दर पर निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार पुष्टि प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 28.06.2012

क्रमांक 415-16

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक
निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 113 दिनांक 22-05-2012

झोन क्र. 13 वार्ड क्र. 58 के अन्तर्गत विज्ञान नगर में म.नं. 361 से 331 एवं 215 से 325 तक जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 109/सी.ई/बिल्स/11-12 दिनांक 31-01-12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्र. 19 दिनांक 21-02-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में सदर प्रकरण की नये एस.ओ.आर. दर पर निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार पुष्टि प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक
निगम,इन्दौर
दिनांक. 28.06.2012

क्रमांक 405-06

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

निगम परिषद अनुसार किसी भी रेट झोन में स्थित मलिन बस्ती को सरचार्ज छुट देने के संबंध में नोटशीट पर राजस्व समिति की राय दिनांक 11-05-11 पर विचार किया गया। चर्चा की गई

2. निगम परिषद द्वारा वर्ष 2012-13 की बजट बैठक में पारित प्रस्ताव अनुसार समस्त घोषित मलिन बस्ती को 31-जुलाई तक सम्पूर्ण कर जमा करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की छुट का निर्णय लिया गया। परिषद प्रस्ताव क्रमांक 59 दिनांक 09.08.2008 द्वारा स्वीकृत 712 मलिन बस्तियों का डाटा बेस में मिलान करने पर 499 बस्तियों का मिलान हुआ। शेष 213 मलिन बस्तियों का मिलान नही होने से ऐसी मलिन बस्तियों की सूची झोन वार तैयार कर संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी से मौके की वास्तविक स्थिति का प्रतिवेदन चाहा गया है।

499 मलिन बस्तियों में से 392 मलिन बस्तियां पूर्व से ही रेट झोन 5 में हैं तथा 107 ऐसी मलिन बस्तियां हैं जो बेहतर रेटझोन में हैं। (रेट झोन 1 में 5, 2 में 6, 3 में 22, 4 में 74, कुल 107) हैं। परिषद निर्णय अनुसार उक्त 107 मलिन बस्तियों को रेटझोन 5 में सम्मिलित किया जाकर 392 मलिन बस्तियों के साथ अधिभार की 100 प्रतिशत की छुट दी गई है।

उपरोक्तानुसार 107 मलिन बस्तियों का रेट झोन 5 में करने के संबंध सहायक राजस्व अधिकारी/बिल कलेक्टर द्वारा से कई बार चर्चा में अवगत कराया गया कि, 107 मलिन बस्तियों में से नीचे दर्शाई मलिन बस्तियां अपेक्षाकृत बेहतर स्वरूप की हो गई हैं। जिनमें अच्छे आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां हैं। इन्हें रेटझोन में 5 में रखा जाना निगम राजस्व की दृष्टि से उचित प्रतीत नही हो रहा है। यहां के रहवासी पिछले कई वर्षों से संबंधित रेटझोन से टैक्स जमा करते आ रहे हैं:-

झोन/वा र्ड	नाम	वर्तमान रेटझोन	झोन/वा र्ड	नाम	वर्तमान रेटझोन
3/14	कृष्णपुरा	1	3/17	राही नगर मेन	4
9/30	छोटी खजरानी	1	4/18	अंवतिका नगर	4
14/55	त्रिवेणी नगर एक्स.	1	4/18	स्कीम नं. 51	4
4/19	संगम नगर	4	4/19	कमला नेहरू नगर	4
5/23	सुखलिया	4	4/19	शहीद हेमू कॉलोनी	4
13/56	आनंद नगर	2	11/53	भगवानदीन नगर	2
1/4	सुखदेव नगर	3	14/52	आनंद नगर	2
8/39	चिकित्सक नगर	3	10/47	संविद नगर	3
10/48	आलोक नगर	3	10/48	पिपल्याहाना	3
11/53	पंचशील नगर	3	12/65	छोटी ग्वाल टोली	3
13/58	चाणक्यपुरी	3	14/62	केशरबाग रोड़	3

1/3	कान्यकुब्ज नगर	4	1/3	रतनबाग कॉलोनी	4
1/3	श्रीकृष्ण नगर	4	1/4	पटेल नगर	4
3/17	रघुवंशी नगर	4	5/34	अनुदेषक नगर	4
5/34	वीणा नगर	4	5/34	श्याम नगर	4
5/34	सुन्दर नगर	4	6/31	सुभाष नगर	4
8/40	आनंदी नगर	4	3/52	चितावद	4
13/52	त्रिवेणी नगर	4	3/57	तेजपुर गड़बडी	4
14/55	मॉडल विपेज कॉलोनी	4	4/59	परिवहन नगर	4
15/67	एम.ओ.जी. लाईन्स	4		सुखदेव नगर एक्स.	4

उपरोक्त वर्णित स्थिति में निगम राजस्व की दृष्टि से उपरोक्त मलिन/बस्तियों को उनके बेहतर स्वरूप के आधार पर फिलहाल संबंधित रेटझोन में ही रखा जाना प्रस्तावित है तथा संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी से मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के बाद ही इनके रेट झोन परिवर्तन तथा अधिभार छूट पर समुचित निर्णय लिया जाना उचित होगा। साथ इन बस्तियों का वास्तविक स्थिति का आंकलन नोडल अधिकारी, डी.एफ.आई.डी. के माध्यम से करा लिये जाने की स्वीकृति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में 107 मलिन बस्तियों में से उपरोक्त दर्शाई मलिन/बस्तियां अपेक्षाकृत बेहतर स्वरूप की होने व इनमें अच्छे आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां होने तथा यहाँ के रहवासी पिछले कई वर्षों से संबंधित रेट झोन में टेक्स जमा करते आ रहे होने से निगम राजस्व की दृष्टि से उल्लेखित बस्तियों का विभागीय एवं नोडल अधिकारी डी.एफ.आय.डी. के माध्यम से मौका मुआयना कर रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रस्तुत की जावे। तब तक इन बस्तियों को संबंधित (वर्तमान) रेटझोन में रखते हुए सम्पत्तिकर वसूली संबंधी कार्यवाही की जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 28.06.2012

क्रमांक 395-96

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 115 दिनांक 22-05-2012

झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 64 के अन्तर्गत मोतीतबेला चौराहा से बाल निकेतन स्कूल तक सडक का सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 77/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 03-11-11 पर प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग की राय क्र. 236 दिनांक 18-11-11 पर विचार किया गया है।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में सदर प्रकरण की नये एस.ओ.आर. दर पर निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार पुष्टि प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 407-08

दिनांक 28.06.2012

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त।
 2. रेसीडेन्ट आडिट।
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 116 दिनांक 22-05-2012

झोन क्र. 13 बिजलपुर गाँव श्मशान घाट में आवश्यक विकास कार्य करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 80/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 14-11-11 पर प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग की राय क्र. 228 दिनांक 18-11-11 पर विचार किया गया है।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में सदर प्रकरण की नये एस.ओ.आर. दर पर निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार पुष्टि प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 409-10

दिनांक 28.06.2012

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त।
 2. रेसीडेन्ट आडिट।
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 43 के अन्तर्गत विनोबा नगर मुख्य मार्ग से पी.टी.आय. ऑफिस होते हुये पत्रकार कालोनी मेनरोड को जोडने वाले मार्ग का सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 147/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया है।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में सदर प्रकरण की नये एस.ओ.आर. दर पर निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार पुष्टि प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 417-18

दिनांक 28.06.2012

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त।
 2. रेसीडेन्ट आडिट।
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 118 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 10 वार्ड क्रमांक 43 अन्तर्गत साकेत नगर मेनरोड से मनीषपुरी विजया महेन्द्र अपार्टमेन्ट तक सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 128/सी.ई. /बिल्स/11-12 दिनांक 22-02-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्र. 32 दिनांक 02-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में सदर प्रकरण की नये एस.ओ.आर. दर पर निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार पुष्टि प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 413-14

दिनांक 28.06.2012

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त स.1 फा.
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 119 दिनांक 22-05-2012

झोन क्रमांक 07 वार्ड क्रमांक 36 अन्तर्गत स्कीम नं. 74-सी स्थित म.नं. 125-सी.एच. से म.नं. 271 सी.एच. तक सडक का सीमेन्टीकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 108/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 28-01-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्र. 14 दिनांक 22-02-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में सदर प्रकरण की नये एस.ओ.आर. दर पर निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार पुष्टि प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 319-92

दिनांक 28.06.2012

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 120 दिनांक 22-05-2012

वर्ष 2012-13 में स्वास्थ्य विभाग को लगने वाली सामग्री क्रय करने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 348 दिनांक 16.05.12 पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्र. 01 दिनांक 18.05.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में वर्ष 2012-13 में स्वास्थ्य विभाग को लगने वाली निम्नांकित सामग्री की निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है:-

अ.क्र	वस्तु का नाम	तादाद	अनुमानित व्यय
1	क्रुड आइल (स्क्व) (केन्द्र सरकार के उपक्रम से खरीदी)	30000 लीटर	20,00,000 / -
	टेमोफास 50:	1000 लीटर	9,00,000 / -
3	फिनाइल प्प ग्रेड प्प मार्क	30000 लीटर	9,00,000 / -
4	ब्लीचिंग पावडर प्रथम ग्रेड प्प मार्क	80 टन	9,50,000 / -
5	डी.डी.व्ही.पी. 76: प्प मार्क	2500 लीटर	9,00,000 / -
6	चूना पावडर	200 टन	3,00,000 / -
7	मारबल पावडर	100 टन	1,50,000 / -
8	लंबे बांस की झाडू (गेंग हेतु)	5000 नग	5,00,000 / -
9	ठीकरी (गेंग हेतु)	5000 नग	50,000 / -
10	गेती (गेंग हेतु)	500 नग	3,00,000 / -
11	फावडे (गेंग हेतु)	500 नग	2,00,000 / -
12	मुर्दा टोकनी (गेंग हेतु)	5000 नग	2,00,000 / -
13	क्लोरीन टेबलेट (गेंग हेतु)	10 लाख	1,00,000 / -
	कुल आकार रुपये		74,50,000 / -

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 28.06.2012

क्रमांक 393-94

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 121 दिनांक 22-05-2012

23 मार्च 2012, को वर्ष प्रतिपदा (गुड़ी पड़वा/नववर्ष) के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर निगम,इन्दौर द्वारा समारोह पूर्वक मनाये जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया एवं विस्तृत चर्चा की गई ।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में वर्ष प्रतिपदा (गुड़ी पड़वा/नववर्ष) के अवसर पर 23 मार्च 2012 को प्रातः राजवाड़ा पर सूर्य को अर्घ्य देकर वर्ष प्रतिपदा की पूर्व संध्या पर भारत माता की आरती एवं भजन संध्या तथा वर्ष प्रतिपदा की संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम (शहीद दिवस पर) आयोजित करने तथा कार्यक्रम में साऊड, बैठक, शामीयाना एवं बधाई संदेश, फ्लेक्स आदि की व्यवस्था कराने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "नववर्ष उत्सव (गुड़ीपड़वा) पर व्यय" में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 28.06.2012

क्रमांक 399-400

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं पौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 122 दिनांक 22-5-2012

पुत्र के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में आवेदक मो.शफीक अन्सारी पता- 138, विजय पैलेस कॉलोनी माणिक बाग रोड़ इन्दौर के आवेदन-पत्र एवं महापौर महोदय की अनुशंसा पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को 2000/- (दो हजार रूपए मात्र) की आर्थिक सहायता/अनुदान चोइथराम हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर के नाम से बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय” में से देने की कार्योत्तर स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव क्र.79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक ४२३-२४

प्रतिलिपी:-

1- आयुक्त

2- रेसीडेन्ट आडिट

की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

दिनांक २८.०६.२०१२

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 123 दिनांक 22-5-2012

स्वयंम के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्री सोहन सिंह पिता घासीराम पता- 49/1 दुबे का बगीचा वल्लभ नगर, न्यू देवास रोड़ इंदौर के आवेदन-पत्र एवं महापौर महोदय की अनुशंसा पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आवेदक को 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपए मात्र) की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय “ में से देने की कार्योत्तर स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव क्र .79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
नगर पालिक निगम, इंदौर
दिनांक 28.06.2012

क्रमांक 425-26

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
 - 2- रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 124 दिनांक 22-05-2012

एम.आर.9 के निर्माण से प्रभावितों के व्यवस्थापन हेतु ग्राम खजराना की भूमि सर्वे क्र. 509/2 रकबा 1.077 हेक्टर भूमि का नियमितिकरण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 693/का.सेल/11 दिनांक 21-06-11 पर पुनर्वास तथा नियोजन विभाग की राय दिनांक 3.3.12 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र में उल्लेखित अनुसार प्रकरण नगरीय क्षेत्रान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले एम.आर. 9 से संबंधित है, मार्ग के निर्माण से प्रभावितों के व्यवस्थापन हेतु ग्राम खजराना की भूमि सर्वे क्रमांक 509/2 रकबा 1.077 हेक्टर पर आवासीय नियोजन किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर उल्लेखित भूमि का व्यवस्थापन नियमितिकरण किये जाने हेतु भेजा है। चूंकि शासन द्वारा म.प्र. नगर पालिका कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें नियम 1998 को प्रभावशील किया गया होने से नियमितिकरण अन्तर्गत प्रकरण में विकास शुल्क रूपये 16,15,500/- एवं नर्मदा केपीटल फण्ड की राशि रूपये 11,98,852/- की राशि का निर्धारण किया गया है जिस पर प्राधिकारी द्वारा यह उल्लेख करते हुए लिखा है कि आपके द्वारा जो वर्णित राशि की मांग की जा रही है उसके अन्तर्गत प्राधिकरण अपने स्वामित्व की 0260 वर्ग मीटर भूमि जिसका प्रचलित गार्ड लाईन से मूल्य राशि रूपये 248.60 लाख होता है, निगम को पानी की टंकी निर्माण हेतु उपलब्ध करा रहा है। निगम मांग पत्र की राशि का समायोजन प्राधिकरण द्वारा पानी टंकी हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि की राशि में समायोजित करते हुए प्रकरण में नियमितिकरण की स्वीकृति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में एम.आर. 9 के निर्माण से प्रभावितों के व्यवस्थापन हेतु ग्राम खजराना की भूमि सर्वे क्र. 509/2 रकबा 1.077 हेक्टर भूमि पर आवासीय नियोजन करने हेतु उक्त भूमि के व्यवस्थापन नियमितिकरण के क्रम में मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें नियम 1998 अनुसार निर्धारित विकास शुल्क राशि रूपये 16,15,500/- एवं नर्मदा केपीटल फण्ड की राशि रूपये 11,98,852/- कुल राशि रूपये 28,14,352/- का प्राधिकरण द्वारा पानी टंकी निर्माण हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि की राशि से समायोजित कर नियमितिकरण की कार्यवाही करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 29.6.12

क्रमांक 510-11

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त संलग्न- 01 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

